

गोवंश तस्करी के आरोप में चार पर गैंगस्टर, गिरफ्तार



स्वतंत्र हित- मोठ तौफीक

बलरामपुर। महाराजगंज तराई थाना पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वॉलेंट चल रहे चार आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार थाना क्षेत्र के परसा सुकुरुल्ला निवासी अलाउद्दीन और शमशाद तथा बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के बेला निवासी मंशाराम और श्रवण कुमार यादव उर्फ नेता शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ

गोवंशीय पशुओं को एकांत स्थान पर एकत्र कर पिकअप में लादता था। आरोप है कि पशुओं को वध के इरादे से बिहार ले जाकर बेचने से आर्थिक लाभ कमाया जाता था। मामले में पुलिस ने 5 मई को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम ने रविवार को चारों आरोपियों को रमईडीह बाजार के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पहले से भी गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय भेजा गया।